

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद

संख्या.....०५.....

वर्ष 20२५.....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्ता श्रीमती सरीता देवी,

आप +पोप +पं-चपरी,

पु-ठाकुरगंगरी, गौडा।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाप. गौडा।

आप पापंग की लिपि

दि. 10.01.2024.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की
ति

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

वाद सं०-०४ / २०२४

परिवादी श्रीमती सरीता देवी, पति श्री सुनिल रविदास, ग्रा०+पो०+पं०-चपरी, प्रखण्ड-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक-०४.०१.२०२४ को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि परिवादी को माह फरवरी, २०२३ से अबतक राशन डीलर श्री नन्द किशोर भारती द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है। यह भी कि इस संबंध में उनके द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से कई बार सम्पर्क किया गया किन्तु अबतक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

परिवादी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में व्हाटसएप्प पर समर्पित आवेदन जो कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित किया गया था इसके बावजूद भी अबतक कार्रवाई नहीं हुई है। परिवादी द्वारा अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति एवं भुखमरी का हवाला देते हुए जल्द से जल्द बकाया सभी माह का राशन दिलाने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-३०.०१.२०२४ को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक-३०.०१.२०२४ को अपराह्न १२:०० बजे रखें।

(शबनम परवीन)

सदस्य,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।